सं. जेड-29011/15/2013-एन
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(परिचर्या अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
फरवरी, 2016

आदेश

विषय: ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका(सी) सं. 527/2011 के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में समिति का गठन।

ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (टीएनएआई) द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 527/2011 से सम्बन्धित माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.01.2016 के निर्णय के अनुपालन में यह निश्चित किया गया है कि टीएनएआई द्वारा उक्त रिट याचिका में प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम में कार्यरत नर्सों के सम्बन्ध में बताई गई परिवेदनाओं की पड़ताल के लिए निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जाए ताकि इस समिति द्वारा वास्तविक स्थिति की समीक्षा कर नर्सों के कार्यस्थिति और वेतन में सुधार लाने सम्बन्धी अनुशंसा की जा सके:-

1)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	-	अध्यक्ष
2)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय [चिकित्सा प्रतिष्ठान (आर एण्ड आर) अधिनियम, 2010]	-	सदस्य
3)	अध्यक्ष, आईएनसी	-	सदस्य
4)	नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	-	सदस्य
5)	सचिव, टीएनएआई	-	सदस्य
6)	सचिव, एआईजीएनएफ	-	सदस्य
7)	निजी अस्पताल से दो सदस्य(फोर्टिस, नई दिल्ली एण्ड नारायण हेल्थ, बंगलुरु)	-	सदस्य
8)	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, राज्य सरकार (राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश)	-	सदस्य
9)	निदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	-	सदस्य सचिव

2. समिति द्वारा विचारणीय मुद्दे इस प्रकार हैं-

क) टीएनएआई द्वारा रिट याचिका (सी) सं. 527/2011 में उठाई गयी परिवेदनाओं की पड़ताल करना और वास्तविक स्थिति की समीक्षा करना;

ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह देखना कि वेतन और सेवा-शर्तों को विनियमित करने के लिए वेतन अधिनियम, श्रम अधिनियम और चिकित्सकीय प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 आदि जैसे अधिनियमों के होते हुए निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम में कार्यरत नर्सों के वेतन और सेवा-शर्तों के विनियमन हेतु क्या नए विधान/दिशानिर्देश की आवश्यकता है;

ग) ऐसी अनुशंसा करना/दिशानिर्देश तैयार करना जिनके आधार पर राज्य अपने यहां निजी असपतालों, नर्सिंग होम आदि में कार्यरत नर्सों के वेतन और सेवा-शर्तों को विनियमित करने सम्बन्धी विधान/दिशानिर्देश तैयार कर सकें;

घ) समिति के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों की समीक्षा करना।

3. समिति, अपने गठन के बाद 6 माह के भीतर अपनी अनुशंसाएं केन्द्र सरकार को सौंपेगी।

4. यह आदेश सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(बी.एस.मूर्ति)
निदेशक
दूरभाष: 011-23062744

प्रतिलिपि:

1. समिति के सभी सदस्य।
2. प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा (राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, , अरुणाचल प्रदेश) को इस अनुरोध के साथ कि निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को समिति के लिए नामित करें।
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के निजी सचिव/सचिव(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं प्रबंध निदेशक के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव(स्वास्थ्य) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के निजी सचिव/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के निजी सचिव/संयुक्त सचिव(एआरआर) के प्रधान निजी सचिव।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को मंत्रालय की वेबसाइट पर उक्त आदेश को स्थान देने के अनुरोध के साथ।
5. संदर्भ फोल्डर/अतिरिक्त प्रति।